


समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प भोपाल



PBR/मिगरानी/होशंगाबाद/भू.रु/2018/0814

1. रामनरेश चिमनिया आ० श्री गंगाप्रसाद चिमनिया
निवासी-ग्राम घाटली, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद
2. दिलीप कुमार चिमनिया
आ. रामबिलास चिमनिया
निवासी- ग्राम घाटली, तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबादयाचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद अरक्का आ० स्व० श्री हरिप्रसाद अरक्का
निवासी- सतपुडा कालोनी वार्ड नं०-2 पुरानी इटारसी
2. राजेश प्रसाद अरक्का आ० स्व० श्री हरिप्रसाद अरक्का
निवासी-तवाकालोनी, पुरानी इटारसी
3. रंजीत कुमार अरक्का आ० हरिप्रसाद अरक्का
निवासी-वार्ड नं०-4, सरदार पटैल पुरा
पुरानी इटारसीउत्तरदातागण

याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.।

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्तागण माननीय निम्न न्यायालय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा रा०प्र०क०-262/अपील वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है। कमश:.....2

(Handwritten signature)

गदिप्रस्ता
श्री लंकीन डवे
जिला-होशंगाबाद
होशंगाबाद

12/01/2018
A.S.

आयुक्त
29-1-18
जिला
29-1-18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/१14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-2-2018	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता व स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 27-9-2017 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपंजीकृत बख्शीशनामों के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही को अवैध माना है । आवेदकगण के अभिभाषक यह बताने में असफल है कि अपर आयुक्त के आदेश में क्या सारवान अवैधानिकता एवं अनियमितता है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	